

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-304/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

183

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, सहरसा ।
श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01/भोजपुर(आरा)-01/नवादा ।

पटना, दिनांक :- 23-3-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0108- श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2251 दिनांक-24.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन त्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु कार्यालय उपयोग एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण हेतु संविदा के आधार पर निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिकतम रू. 1200/- प्रति दिन (ईंधन सहित) अर्थात् अधिकतम रू. 31200/- मासिक की दर से निम्न कार्यालयों को वाहन का ईंधन एवं रख रखाव इकाई (13-02) में निम्न प्रकार से आवंटन किया जाता है-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13-02)	अभ्युक्ति
1	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	169716	सहायक श्रमा. सहरसा के पत्रांक-109 दि.-16.3.17 के आलोक में
2	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	57600	श्रम अधी. समस्तीपुर के पत्रांक-154 दि.-14.2.17 के आलोक में
3	श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा)	124800	श्रम अधी. भोजपुर(आरा) के पत्रांक-154 दि.-16.3.17 के आलोक में केवल बक्सर जिला हेतु ।
4	श्रम अधीक्षक नवादा	19846	श्रम अधी. नवादा के पत्रांक-824 दि.-19.12.16 के आलोक में
कुल योग		371962	

कुल प्रस्तावित आवंटन ₹ 3,71,962/- (₹ तीन लाख एकहत्तर हजार नौ सौ बासठ) मात्र ।


2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।


4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर एवं वाहन रखने से संबंधित स्वीकृत्यादेश में निहित दरों के अनुरूप नियमानुसार ही की जाय ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।



(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 183 पटना, दिनांक 23-3-17
प्रतिलिपि-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 183 पटना, दिनांक 23-3-17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी /*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*स्पीड
पोस्ट


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 183 पटना, दिनांक 23-3-17
प्रतिलिपि:- आई०टी०मेनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।